

महेश अवाना

निगम पार्षद

वार्ड नं. 202, मीठापुर (बदरपुर)

सदस्य :

- 1 विशेष (नियुक्तियां, पदोन्नतियां, अनुशासनात्मक एवं सम्बद्ध मामले) समिति
- 2 तदर्थ (लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी) समिति
- 3 तदर्थ (लाभकारी परियोजना) समिति
- 4 ग्रामीण क्षेत्रीय समिति

दिल्ली नगर निगम

क्रमांक - M-A-1/11



OFFICE OF UDM

Dy. No. 4131

Date 23/11/11

दूरभाष : कार्या. : 26667027

मो. : 9818307027

कार्या. : 27, स्कूल रोड, श्री कालोनी
मीठापुर गांव, बदरपुर
नई दिल्ली-110044

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

AREA PLANNING ZONE-E & O

REVIEW OF MCD-2021

NEW SUGGESTION

No. 8950

DATE 12/12/11

दिनांक :

✓ श्री कमलनाथ जी,

माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय:- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे वार्ड मीठापुर (202) को गलत तरीके से ओ जोन (Zone O) में डाले जाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे वार्ड मीठापुर (202) को ओ जोन (Zone O) में डाले जाने का अग्रभाग/किनारा घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना घाट या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है।

श्रीमानजी, मेरे वार्ड मीठापुर (202) को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है। इसमें लगभग 30 अनाधिकृत कालोनिया व लाल डोर का मीठापुर गांव है। यह सभी अनाधिकृत कालोनिया जो दिल्ली सरकार को 1639 की सूची में सूचीबद्ध है, शामिल है व बहा कि आवादी लगभग डेढ़ लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्याप्त है। नहरगांव के मेरे इस वार्ड क्षेत्र मीठापुर (202) को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यों में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आवादी के लिये मीठापुर में बनने वाला 60 विस्तरों को दिल्ली सरकार का जच्चा वच्चा अस्पताल व इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग व दिल्ली नगर निगम की ऐसी ही कई योजनाएँ हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को ओ जोन (Zone O) में डाले जाने की वजह से अवर में लटक गई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बरसा गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के इलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जबकि यह इलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता है परन्तु मेरे क्षेत्र की सभी कालोनियाँ जो यमुना फ्रन्ट पर भी नहीं हैं, अपितु उनके व यमुना नदी के बाँच में हरियाणा की पूरी आवादी बसा हुई है, जिसमें गाँव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रन्ट बताकर ओ जोन (Zone O) में शामिल किया गया है, जो कि सरासर गलत है।

अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करें। हम आपके संदेव आभारी रहेंगे।

OFFICE OF THE DIR (Plg.)

MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2

Dy. No. 2135

Dated 24-4-12

आपका

(महेश अवाना)

प्रतिलिपी:-

- 1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
- 2- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मानार, नई दिल्ली।
- 3- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेक्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, नई दिल्ली।
- 4- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली।
- 5- श्री गणेश्वर नेताजी, विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।

SCD) - in form
Dir (DD)